

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक श्री/श्रीमती <u>सेलाय पुरती</u> पिता/पति <u>रमेश महेन्द्र पुरती</u> ग्राम <u>भालिया बुद्ध वार्ड-08</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया है कि अपनी <u>खेती</u> के लिए अपने खतियानी जमीन मौजा <u>आसनतलिया</u> थाना नं० <u>88</u> खाता नं० <u>284</u> प्लॉट नं० <u>2100</u> रकबा <u>0.06 एकर</u> क्रेता श्री/श्रीमती <u>मंगल बेरडि</u> पिता/पति <u>मोपी बेरडि</u> ग्राम <u>बरकानी</u> पोस्ट <u>चक्रधरपुर</u> थाना <u>चक्रधरपुर</u> जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतहार किया गया। अंचल-अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जाने वाली जमीन आवेदक/आवेदिका <u>सेलाय पुरती</u> पिता <u>रमेश महेन्द्र पुरती</u> के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास मो० <u>450,000/-</u> रुपये में बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में <u>गउतु हो तथा सेलाय हो</u> पिता <u>महेन्द्र हो</u> के नाम से दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध <u>दादा-पौता</u> का है। जमाबन्दी पंजी 11 में खाता रैयत <u>गउतु हो, सेलाय हो पिता महेन्द्र हो</u> के नाम लगान कायम है। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी को आपत्ति नहीं है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" के अनुसार आवेदक विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना <u>चक्रधरपुर</u> के निवासी है तथा <u>हो (अनु० त० प्रा०)</u> समुदाय के सदस्य है। 46(i) प्रोभिजो "बी" के अनुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला क्रमशः <u>—</u> एवं <u>—</u> अंचल के निवासी है तथा <u>—</u> समुदाय के सदस्य है। आवेदक उक्त वर्णित कारणों से जमीन को बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि को बिक्री के बाद जीविकोपार्जन हेतु ग्राम <u>आसनतलिया</u> खाता/अन्य खाता <u>284</u> प्लॉट संख्या <u>—</u> में रकबा <u>2.15 एकर</u> अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी <u>चक्रधरपुर</u> ने अपने कार्यालय पत्रांक <u>325(B)</u>	

सभी मतदाताओं से आग्रह है कि २२२२ ०३३२२० पर अपने नाम के साथ अपना आधार संख्या दर्ज करे तथा निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) में अपने नाम की जांच कर ले। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचक नामावली (Electoral Roll) में मिथ्या घोषणा यथा Duplication दंडनीय अपराध है।